संख्या-51/1357/तीस-3-14-31बी/2013

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

2-अध्यक्ष,
राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण उत्तर प्रदेश,
01 कैसरबाग, एवेन्यू (अवध जिमखाना क्लब के पीछे), लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ:दिनॉक 28 जुलाई, 2014

विषय :- वित्तीय वर्ष 2014-15 में आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनॉक 22-07-2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवहन अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-34/821/30-3-2014-31बी/2013, दिनॉक 07-04-2014 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में लेखानुदान के माध्यम से प्राप्त धनराशि में से प्रथम 04 माह (अप्रैल से जुलाई, 2014) के लिए आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसे आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- अब वित्तीय वर्ष 2014-15 के वार्षिक बजट में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 में आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि, जिसका लेखाशीर्षकवार विवरण निम्नांकित तालिका में अंकित है, में से वर्ष की शेष अवधि के लिये धनराशि रू0 4935 हजार (लेखाशीर्ष-2041 के अन्तर्गत), धनराशि रू0 3400 हजार (लेखाशीर्ष-2059 के अन्तर्गत), धनराशि रू0 351 हजार (लेखाशीर्ष-2235 के अन्तर्गत), धनराशि रू0 898556 हजार (लेखाशीर्ष-3055 के अन्तर्गत) तथा साथ ही धनराशि रू0 1934 हजार (मद संख्या-190 के अन्तर्गत) इस प्रकार कुल प्रावधानित धनराशि की अवशेष धनराशि रू0 909176 हजार की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक 22-07-

http://shasanadesh.up.nic.in

2014 में निहित निर्देशानुसार, वित्तीय वर्ष 2014-15 की अवशेष अवधि के लिये कतिपय शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन, आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक/मानक मद संख्या तथा नाम	स्वीकृत प्राविधान	स्वीकृति की धनराशि (4/12वॉ भाग)	अवशेष धनराशि, जिसकी स्वीकृति निर्गत की जा रही है
लेखाशीर्षक-2041-वाहन कर-800-अन्य व्यय-03-स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट अधिष्ठान			
01-वेतन	3000	1000	2000
02-मजदूरी	25	08	17
03-मंहगाई भत्ता	3150	1000	2150
04-यात्रा व्यय	30	10	20
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	100	33	67
06-अन्य भत्ते	360	120	240
07-मानदेय	05	00	05
08-कार्यालय व्यय	65	21	44
09-विद्युत देय	50	16	34
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	25	08	17
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	125	41	84
13-टेलीफोन पर व्यय	40	13	27
17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	175	58	117
42-अन्य व्यय	00	00	00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	10	03	07
45-अवकाश यात्रा व्यय	30	10	20
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	50	16	34
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	30	10	20
49-चिकित्सा व्यय	40	13	27
51-वर्दी व्यय	05	00	05
योग :	**7315**	**2380**	**4935**

http://shasanadesh.up.nic.in

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक/मानक मद संख्या तथा नाम	स्वीकृत प्राविधान	स्वीकृति की धनराशि (4/12वॉ भाग)	अवशेष धनराशि, जिसकी स्वीकृति निर्गत की जा रही है
लेखाशीर्षक-2059-लोक निर्माण कार्य-01-कार्यालय भवन -051-निर्माण-03-अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव-29-अनुरक्षण	5000	1600	3400
योग :	**5000**	**1600**	**3400**

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक/मानक मद संख्या तथा नाम	स्वीकृत प्राविधान	स्वीकृति की धनराशि (4/12वॉ भाग)	अवशेष धनराशि, जिसकी स्वीकृति निर्गत की जा रही है
लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-200-अन्य कार्यक्रम-03-मंत्रियों, सरकारी कर्मचारियों तथा/अथवा उनके परिवारों को अनुग्रह भुगतान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	01	--	01
04-बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की बस दुर्घटना हो जाने की दशा में आर्थिक सहायता-20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन)	2000	650	350
योग :	**2001**	**650**	**351**

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक/मानक मद संख्या तथा नाम	स्वीकृत प्राविधान	स्वीकृति की धनराशि (4/12वॉ भाग)	अवशेष धनराशि, जिसकी स्वीकृति निर्गत की जा रही है
लेखाशीर्षक-3055-सड़क परिवहन-001-निदेश तथा प्रशासन -03-अधिष्ठान व्यय			
01-वेतन	460000	153300	306700
02-मजदूरी	400	133	267
03-मंहगाई भत्ता	483000	161000	322000

http://srisanadesh.up.nic.in

04-यात्रा व्यय	1000	333	667
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	500	166	334
06-अन्य भत्ते	46000	15333	30667
07-मानदेय	50	--	50
08-कार्यालय व्यय	25000	8000	17000
09-विद्युत देय	10000	3300	6700
10-जलकर/जल प्रभार	3500	1166	2334
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	32000	10666	21334
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4000	1333	2667
13-टेलीफोन पर व्यय	2000	666	1334
14-मोटरगाडियों का क्रय	6000	2000	4000
15-मोटर गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	26000	8666	17334
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	18000	6000	12000
17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	9483	3000	6483
18-प्रकाशन	150	50	100
23-गुप्त सेवा व्यय	20	06	14
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण संयत्र	00	00	00
29-अनुरक्षण	1000	333	667
42-अन्य व्यय	50	16	34
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	500	166	334
45-अवकाश यात्रा व्यय	100	33	67
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	174700	58233	116467
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	35000	11666	23334
49-चिकित्सा व्यय	8000	2666	5334
51-वर्दी व्यय	500	166	334
योग : 3055-03	**1346953**	**448397**	**898556**
190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों की सहायता-03-राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में संसद सदस्यों की नि:शुल्क यात्रा की सुविधा के लिये निगम को प्रतिकर का भुगतान- 42-अन्य व्यय	2900	966	1934
योग : 190	**2900**	**966**	**1934**
योग : 3055	**1349853**	**449363**	**900490**

http://sansanadesh.up.nic.in

3- आवंटित धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनॉक 28-03-2013 व कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनॉक 14-03-2014 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, साथ ही क्रय संबंधी मामलों में उद्योग विभाग के शासनादेश संख्या-2573एस0पी0/18-07-76(एस0पी0)/86, दिनॉक 08-01-1992, पत्र संख्या-2177/18-07-94-15 (एस0पी0)-92 दिनॉक 17-10-94, पत्र संख्या-2275/18-05-98-15(एस0पी0)-92टी0सी0, दिनॉक 07-12-98, पत्र संख्या-708/18-05-98-15(एस0पी0)-92, दिनॉक 08-01-94, पत्र संख्या-2917/18-05-2000-49(एस0पी0)-2000, दिनॉक 20-12-2000 तथा इसके अतिरिक्त समय-समय पर उनके द्वारा जारी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय एवं जहॉ टेण्डर आदि की आवश्यकता हो वहॉ उसका नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। धनराशि टुकड़ों में व्यय किये जाने से बचा जाय।

4- लेखाशीर्षक-2059-लोक निर्माण कार्य-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव-29-अनुरक्षण के अन्तर्गत निर्गत की जा रही धनराशि इस शर्त के साथ आपके निवर्तन पर रखी जा रही है कि इस धनराशि का व्यय सम्बन्धित मरम्मत/अनुरक्षण कार्यों की शासन से वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही किया जायेगा।

5- वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनॉक 22-07-2014 के प्रस्तर-2(11) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार लेखाशीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के अन्तर्गत मानक मद संख्या-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) के अनतर्गत प्रावधानित धनराशि रू0 2000 हजार को 02 किस्तों में जारी किया जायेगा, जिसकी प्रथम किस्त प्रशासकीय विभाग द्वारा तथा दूसरी किस्त की स्वीकृति प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से जारी की जायेगी। वित्त विभाग के उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक 22-07-2014 के निर्देशानुसार प्रथम किस्त के रूप में रू0 1000 हजार में से लेखानुदान के माध्यम से जारी की गयी धनराशि रू0 650 हजार को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि रू0 350 हजार अर्थात् कुल 50 प्रतिशत धनराशि रू0 1000 हजार व्यय हेतु निर्गत की जा रही है। अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि रू0 1000 हजार प्रस्ताव/उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर वित्त विभाग की सहमति से जारी की जायेगी।

6- इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार

http://shasanadesh.up.nic.in

अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7- व्यय विवरण प्रत्येक मास की 10 तारीख तक वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-3 को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

8- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-51/1357(1)/तीस-3-2014, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in